



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले 02 अभियुक्तों को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹9,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 378/15 धारा-354क,34,323 भा0द0सं0 व 10 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अभि0 1.बरुआ उर्फ शमसेर उपरोक्त को धारा 10 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹8000 रु0 के अर्थदण्ड से तथा अभि0 सिकन्दर उपरोक्त को 323 भा0द0सं0 का दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि व ₹1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक  
श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 श्री अनिल  
यादव



पैरोकार- थाना मौदहा  
का0 शुभम यादव